कार्यालय प्रभागीय वनाधिकारी सम्भल वन प्रभाग, सम्भल।

पत्रांक–983/22–1 (कैम्प चन्दौसी) दिनांक, 12/01/ 2017

सेवा में

वन संरक्षक एवं क्षेत्रीय निदेशक,
मुरादाबाद क्षेत्र, मुरादाबाद।

विषय– सम्भल में आगरा–मुरादाबाद मार्ग (एन0एच0 93) किमी0 146 की वांयी पट्री पर ग्राम रसूलपुर के खसरा सं0– 149 में एस्सार आयल लि0 द्वारा विकसित किये जा रहे रिटेल आउटलेट के सम्पर्क मार्ग निर्माण हेतु 0.2138 है0 संरक्षित वन भूमि के गैर वानिकी प्रयोग एवं उस पर अवस्थित 08 वृक्षों के पातन की अनुमति ।

संदर्भः– मुख्य वन संरक्षक/नोडल अधिकारी, उ0प्र0 लखनऊ का पत्रांक–1316/सम्भल/14361/2015 दिनांक–21/12/2016 एवं आपका पत्रांक–आर0–3772/14–1 दिनांक–06.01.2017।

महोदय,

उपरोक्त सन्दर्भित पत्रों के कम में अवगत कराना है कि भारत सरकार के पत्र दिनांक–23.05.2016 द्वारा इंगित त्रुटियों के निस्तारण कर प्रेषित किये गये प्रस्ताव पर मुख्य वन संरक्षक/नोडल अधिकारी उत्तर प्रदेश, लखनऊ ने सूचनायें एवं अभिलेख पूर्ण एवं सुसंगत न होने पर आपत्ति व्यक्त की गई है। जिसका निराकरण निम्न प्रकार है–

प्रश्न	उत्तर
1. बिन्दु संख्या–1 के निराकरण हेतु इस कार्यालय से भारत सरकार को अलग से पत्र लिखा गया है। निराकरण होने के उपरान्त ऑनलाइन पार्ट–1 की कटिंग की गयी प्रति को हटाकर संशोधित हस्ताक्षरित प्रति प्रस्ताव के साथ संलग्न करें।	बिन्दु संख्या–1 के सम्बन्ध में कार्यदायी संस्था द्वारा पार्ट–1 की कटिंग को हटाने के सम्बन्ध में दिये गये पत्र संलग्न किया जा रहा है।
2. प्रस्ताव के साथ संलग्न क्षतिपूरक वनीकरण के प्राक्कलन में 10 वर्षो के अनुरक्षण का समावेश करते करते हुये विस्तृत प्राक्कलन संलग्न करने का कष्ट करें।	प्रस्ताव के साथ संलग्न क्षतिपूरक वनीकरण में 10 वर्षो के अनुरक्षण का समावेश करते हुय पार्ट–2 में ऑनलाइन संशोधित कर दिया गया है। विस्तृत प्राक्कलन तथा पार्ट–2 की छाया प्रति साथ में संलग्न की जा रही है।
3. ऑनलाइन पार्ट–1 के बिन्दु–ई (3) में अंकित सूचना त्रुटिपूर्ण है। क्या 10 मानव दिवस से परियोजना पूर्ण कर ली जायेगी। ऑनलाइन एवं ऑफलाइन सूचना संशोधित करें।	पार्ट–1 के बिन्दु सं0–ई (3) में अंकित सूचना को ऑनलाइन संशोधित कर दिया गया है तथा पार्ट–1 की छाया प्रति संलग्न है।
4. उपरोक्त इंगित सूचनाओं को पूर्ण कर प्रस्ताव व विषय सूची पर पृष्ठ संख्या ठीक करने का कष्ट करें।	उपरोक्त सूचनाओं को पूर्ण कर प्रस्ताव की विषय सूची पर पृष्ठ संख्या ठीक कर दिये गये है।

संलग्नक–यथोपरि।

भवदीय,

(एम0 पी0 सिंह)
प्रभागीय वनाधिकारी
सम्भल वन प्रभाग सम्भल।

संख्या– / उक्तदिनांकित

प्रतिलिपि– मुख्य वन संरक्षक/नोडल अधिकारी, उ0प्र0, लखनऊ को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

(एम0 पी0 सिंह)
प्रभागीय वनाधिकारी
सम्भल वन प्रभाग सम्भल।